न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2021(2021/247)

1.कैलाश पुत्र नंदा
2.महावीर पुत्र नंदा
3.राजेन्द्र कुमार पुत्र नंदा
4.श्रवणी पत्नि नंदा
सभी जाति नाई निवासीगण ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
--प्रार्थीगण

बनाम

1.मनभर पत्नि रामधन जाट
2.गोपाल पुत्र पोखर जाट
सभी ग्राम बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान --अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राज लैण्ड रेवेन्यु एक्ट वास्ते स्थायी पत्थरगढ़ी

आदेश

दिनांक 17 नवम्बर 2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बोगला पटवार हल्का बोगला भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कालेड़ा कृष्ण गोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित हे आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:-

खेवट खतौनी		खसरा नंबर	रकबा	किस्म
नई	पुरानी			
483	180	1690	1.25	बारानी 1
		1691	0.03	बारानी 1

प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी मे है,प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजी के सीमाचिन्ह खुर्द बुर्द हो गये तथा पड़ोसियों से आये दिन कब्जे काश्त मे लड़ाई-झगडे होते है,उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गेर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है, इसलिए प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी का दावा करना लाजिमी आया है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिससे मौके पर पुश्ता निशान कायम किये जा सके। ताकि आये दिन प्रार्थी को अप्रार्थीगण से विवाद नहीं करना पड़े एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्यवाहियो मे उलझना नहीं पड़े इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी दिनांक 22.04.2021 को आराजीयात मे आवश्यक कार्य करने गये तो पड़ोसिया ने सीमा चिन्ह नही होने की धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमाचिन्हो के अभाव मे हमारे खेत मे हंकाई बुवाई भी नहीं करने दी जिससे उक्त उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीयां मनभर पत्नि रामधन जाट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरे खेत मे कुआं खुदवाया जिसकी मिट्टी(मलबा)मेरे खेत मे डाल रखी व कुँआ बॅधवाया यानि निर्माण करवाया उससे बचे पत्थर भी मेरे खेत मे अतिक्रमण के हिसाब से डाल रखे है जिनके पत्थर व मिट्टी है,वे प्रार्थीगण है,मेरे खेत से पत्थर व मिट्टी हटवायी जावे। अप्रार्थी संख्या 03 राजस्थान सरकार पैरोकार सरकार ने भी आदेशिका मे यह अंकित किया गया कि पत्थरगढी आदेश से राजहित प्रभावित नहीं है। जवाब प्राप्त होने पर पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी कैलाश चंद जो शिविर मे मौजूद है ने प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी मनभर ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा प्रार्थीगण पर उसकी आराजी मे जबरन अतिक्रमण करने का कथन किया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रसारित किये जाने की प्रार्थना...

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करावे तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही तहसीलदार केकड़ी द्वारा दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर करवायी जावे।

आदेश प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021मजमे आम शिविर कालेड़ा कृष्ण गोपाल मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner